

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

आदेश

संख्या- 12/चक0मु0-5-05/2005-887/चक0, पटना दिनांक 12.12.17

चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के विभिन्न उप निदेशालयों/चकबंदी कार्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के आलोक में वृत्ति उन्नयन का लाभ देने हेतु दिनांक 14.06.2017 को आहुत प्रोन्नति-सह-स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सामने कॉलम 5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि एवं वेतनमान/ग्रेड पे में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत 12, 24 एवं 10, 20, 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

कार्यालय परिचारी/कड़ीपाल							
क्र०	नाम, पदनाम (जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति तिथि)	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति तिथि/सेवा सम्पुष्टि की तिथि	देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० (तिथि एवं विवरण)			अभ्युक्ति
				प्रथम ए०सी०पी०	द्वितीय ए०सी०पी०	तृतीय ए०सी०पी०	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्व० सत्यनारायण सिंह, से०नि० अनुसेवक (06.01.1953 / 12.11.2012)	चकबंदी कार्यालय, दावथ (रोहतास)	10.03.1973 10.03.1983	—	—	01.01.2009 (5200-20200 / 2800)	
2	स्व० मोती लाल प्रसाद, से०नि० अनुसेवक (15.12.1952 / 31.12.2012)	उप निदेशक, चकबंदी, पश्चिमी चम्पारण	11.12.1979 11.12.1989	—	11.12.03 (2750-4400)	01.01.2009 (5200-20200 / 2800)	
3	मो० यहिया, से०नि० अनुसेवक (14.07.1953 / 31.07.2013)	उप निदेशक, चकबंदी, मुजफ्फरपुर	18.01.1972 18.01.1982	—	09.08.99 (2750-4400)	01.01.2009 (5200-20200 / 2800)	
4	शफीक आलम, से०नि० अनुसेवक (24.10.1947 / 31.10.2007)	चकबंदी कार्यालय, छातापुर	01.05.1969 01.05.1979	—	09.08.99 (2750-4440)	—	
5	श्री गणेश राम, कार्यालय परिचारी (30.07.1963 / 30.07.2023)	चकबंदी निदेशालय, पटना	27.01.1986 27.01.1996	—	01.01.2009 (5200-20200, ग्रेड पे 2000)	27.01.2016 (5200-20200, ग्रेड पे 2400)	

- (2) किसी भी समय यह पाया जायेगा कि वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी।
- (3) सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मात्र उच्चतर वेतनमान/उच्चतर ग्रेड पे तक ही सीमित है। यह कोई नियमित प्रोन्नति नहीं है। कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रभावित नहीं होगी।

(नवल किशोर)

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-12/चक0मु0-5-05/2005-887/चक0 पटना, दिनांक 12.12.17

प्रतिलिपि - उप निदेशक, चकबंदी, मुजफ्फरपुर/सहरसा/पश्चिमी चम्पारण/अनुदेशक, चकबंदी निदेशालय, पटना/चकबंदी पदाधिकारी, दावथ/सभी संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवल किशोर)

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),
बिहार, पटना।